# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/प्रशा० स्वी0–27/2015/ 11/15-165-स्वी. /राँची, दिनांक 08.06.2015

प्रेषक

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

**विषय: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के नामकोम प्रखंड अंतर्गत टाटी उद्वह सिंचाई योजना को जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू॰ 67.785 लाख (सरसठ लाख अठहत्तर हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश–स्वीकृत।**

2. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के नामकोम प्रखंड अंतर्गत टाटी उद्वह सिंचाई योजना को जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू॰ 67.785 लाख (सरसठ लाख अठहत्तर हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित योजना अन्तर्गत पम्प हाउस, इनटेक वेल, ऑपरेटर क्वार्टर इत्यादि निर्माण का प्रस्ताव है।

4. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) जीर्णोद्वार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा एवं उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री॰ लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा। प्री लेवल की जांच असंबद्ध प्रमंडल द्वारा भी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कराया जाएगा।

(iii) योजना के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित योजना के जीर्णोद्धार कार्य E-Tendering के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन तथा प्राक्कलन में मद एवं मात्रा की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभियंता, लघु सिचांई राँची द्वारा कंडिका–4 के (i) से (vi) तक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के जीर्णोद्धार कार्य से कुल 100 हे॰ (खरीफ 80 हे॰ एवं रब्बी 20 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्जीवित होगी। योजना का B.C. Ratio 10% interest पर 1.36 तथा इंसीडेस ऑफ कॉस्ट 84005 आकलित है।

7. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जायगा।

8. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष, 20–पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एंव पुनर्स्थापन कार्य, 05–निर्माण 43–अनुरक्षण, मरम्मति एव सुसज्जीकरण (सामग्री) अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

9. इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
08/06/2015
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

**पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/** 11/15-16 प.स्वी. **/राँची, दिनांक** 08.06.2015
प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/06/2015
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

**पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/** 11/15-16 प.स्वी. **/राँची, दिनांक** 08.06.2015
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/06/2015
( मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

**पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/** 11/15-16 प.स्वी. **/राँची, दिनांक** 08.06.2015
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

08/06/2015
( मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा० स्वी0–207/2014/11/15-16 9. स्वी./राँची, दिनांक 08.06.2015

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

08/06/2015

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा० स्वी0–207/2014/11/15-16 9. स्वी./राँची, दिनांक 08.06.2015

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08/06/2015

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा० स्वी0–207/2014/11/15-16 9. स्वी./राँची, दिनांक 08.06.2015

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

08/06/2015

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)